न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज0)
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत, अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा

विविध फौजदारी प्रकरण सं.9 / 2014

सायल
परिवादी प्रतापराम रावल व अन्य
ग्रामवासी हालीवाडा जरिये थानाधिकारी
पुलिस थाना कालन्द्री
जिला सिरोही

बनाम

गैरसायलान
श्री धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गिनाजी
जाति पुरोहित निवासी हालीवाडा
पुलिस थाना कालन्द्री

1– तहसीलदार सिरोही उपस्थित ।
1– सायल अनुपस्थित ।
2– गैरसायल अनुपस्थित 1

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी 1973 के तहत
बाबत लोक न्यूसेन्स हटाने

दिनांक 4–6–2018

निर्णय

परिवादी श्री प्रतापराम रावल व अन्य ग्रामवासीयान हालीवाडा ने जरिये थानाधिकारी पुलिस थााना कालन्द्री इस्तगासा अर्न्तगत धाारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत विरूद्व गैरसायल का इस न्यायालय मे दिनांक 9–9–2014 को पेश कर निवेदन किया कि दौराने जांच गैरसायल धुकाराम उर्फ गोरधन पुराहित द्वारा ग्राम सुरापुरा मे अपने मकान के आगे सार्वजनिक रास्ते पर मिटटी व पत्थर की पाल बनाकर कांटे लगाकर बन्द कर दिया है जिससे सभी ग्रामवासीयों को आने जाने मे दुविधा हो रही है तथा रास्ता खोलने का कहने पर झगडा करने पर उतारू हो जाता है इस प्रकार आम जन के उपयोग मे आने वाले सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर न्यूसेन्स फैलाया जा रहा है। अतः इस प्रकरण को दिनांक 9–9–2014 को दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते तामिली रिर्पोट व जवाब हेतु 30–9–2014 को न्यायालय मे रखी गई । जिस पर न्यायालय मे उक्त विचाराधीन प्रकरण मे तारीख पेशी दिनांक 31–10–2014 को गैरसायल को जारी सम्मन तामिली होने के बावजूद दौराने सुनवाई हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा गैरसायल को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद गैरसायल स्वंय या इनके वकील /प्रतिनिधि ईत्यादि कोई हाजिर नही आने से न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । दिनांक 9–12–2014 को न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे सुनवाई के दौरान वकील श्री दिनेश राजपुरोहित ने उक्त गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु समय चाहने पर न्यायालय द्वारा न्यायहित मे चार पांच अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 22–12–2015 को न्यायालय मे गैरसायल की ओर से वकील श्री गजेन्द्रसिंह ने अण्डर टेंकिंग लेने से वकालतनामा पेश करने हेतु तीन चार अवसर न्यायहित मे दिये गये । दिनांक 7–11–2016 को न्यायालय मे वकील श्री गजेन्द्रसिंह ने हाजिर होकर विचारण प्रकरण की पत्रावली पर गैरसायल धुकाराम की ओर से अण्डर टेंकिंग निरस्त की गई तथा न्यायालय द्वारा भी विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–11–2016 को गैरसायल की ओर से सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे कोई वकालतनामा या जवाब पेश नही करने से गैरसायल धुकाराम का जवाब बंद किया गया तथा गैरसायल के विरूद्व पूर्व मे ही एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रकरण मे सायल को तलब करने हेतु सम्मन जारी होकर दिनांक 9–3–2018 को पेश हो ।जिस पर सायल प्रतापराम रावल हाजिर हुये लेकिन सायल के ब्यान मे तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री को तलब करना उचित होने से उन्हे जरिये सम्मन तलब करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली दिनांक 12–4–2018 को न्यायालय मे रखी गई ।

आज दिनांक 4–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रकरण की सुनवाई के दौरान सायल व गैरसायल दोनो पक्ष हाजिर नही हुये । जिस पर उक्त बंद रास्ते के सम्बन्ध मे संबंधित पटवारी हल्का हालीवाडा, सचिव ग्राम पंचायत हालीवाडा व भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा की संयुक्त मौका जांच रिपोट मांगी जाने पर प्राप्त संयुक्त मौका जाच रिर्पोट अनुसार ग्राम की आबादी भूमि मे चल रहे रास्ते पर दो पत्थर के टुकडे लगाकर रास्ता को अवरूद्व करने का प्रयास कर रास्ते को संकडा किया गया है जिससे उक्त रास्ते मे पैदल आना जाना हो रहा है परन्तु वाहन या अन्य कोई साधन से परिवहन नही किया जा सकता है। अतः आवागमन को सुगम बनाने के लिये उक्त रास्ते मे किये गये अवरोध को मौके से हटाया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सिरोही

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न उक्त बंद रास्ते के सम्बन्ध मे संबंधित पटवारी हल्का हालीवाडा, सचिव ग्राम पंचायत हालीवाडा व भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा की संयुक्त मौका जांच रिर्पोट, परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद व उसके आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा फर्द नक्शा मौका, ब्यान मगनलाल रावल, प्रतापराम रावल, योगेश रावल, मौके के फोटोग्राफस ग्रामवासीयों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, सिरोही को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 11–7–2014, 16–5–14 बाबत सार्वजनिक रास्ता बंद करने, गैरसायल धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गिनाजी पुरोहित गांव हालीवाडा द्वारा बिना हस्ताक्षर का जवाब व मकान का पट्टा गीना पुत्र उदा राज.ब्राहाण के नाम का फोटो कोपी उक्त दोनो दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियॉ नही होने से कानूनी रूप से दस्तावेजी साक्ष्य की तारीफ मे नही आने से साक्ष्य मे ग्राहय नही है।

हम उक्त बंद रास्ते के सम्बन्ध मे संबंधित पटवारी हल्का हालीवाडा, सचिव ग्राम पंचायत हालीवाडा व भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा की संयुक्त मौका जांच रिपोट मांगी जाने पर प्राप्त संयुक्त मौका जाच रिर्पोट अनुसार ग्राम की आबादी भूमि मे चल रहे रास्ते पर दो पत्थर के टुकडे लगाकर रास्ता को अवरूद्व करने का प्रयास कर रास्ते को संकडा किया गया है जिससे उक्त रास्ते मे पैदल आना जाना हो रहा है परन्तु वाहन या अन्य कोई साधन से परिवहन नही किया जा सकता है। अतः आवागमन को सुगम बनाने के लिये उक्त रास्ते मे किये गये अवरोध को मौके से हटाया जाना उचित बताया जाने से प्रथम दृष्टयॉ सहमत है। उक्त आधार पर गैरसायल धुकाराम उर्फ गोरधन पुराहित द्वारा ग्राम सुरापुरा मे अपने मकान के आगे सार्वजनिक रास्ते पर मिटटी व पत्थर की पाल बनाकर कांटे लगाकर बन्द कर दिया है जिससे सभी ग्रामवासीयों को आने जाने मे दुविधा हो रही है। इस प्रकार आम जन के उपयोग मे आने वाले सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर न्यूसेन्स फैलाया जाना सिद्व हो रहा है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर सायल प्रार्थी जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री द्वारा प्रस्तुत यह इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत विरूद्व धुकाराम उर्फ गोरधन पुरोहित बाबत न्यूसेन्स हटाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तथा अर्न्तगत धारा 133(5) सी.आर.पी.सी. के तहत यह न्यायालय गैरसायल धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गीनाजी पुरोहित निवासी हालीवाडा को आदेश देता है कि आप द्वारा ग्राम सुरापुरा मे अपने मकान के आगे सार्वजनिक रास्ते पर मिटटी व पत्थर की पाल बनाकर कांटे लगाकर बन्द कर दिया है जिससे सभी ग्रामवासीयों को आने जाने मे दुविधा हो रही है। इस प्रकार आम जन के उपयोग मे आने वाले सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर न्यूसेन्स फैलाया है उसे 15 दिवस के भीतर मौके से न्यूसेन्स हटा देवे अन्यथा ग्राम पंचायत हालीवााडा द्वारा अपने साधनो से उक्त न्यूसेन्स मौके से एक माह मे हटा दिया जावेगा जिसका हर्जा खर्चा ग्राम पंचायत हालीवाडा द्वारा आपसे वसूल किया जावेगा । तथा सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा को भी आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त गैरसायल 15 दिवस के भीतर मौके से उक्त न्यूसेन्स नही हटाता है तो आप एक माह के भीतर उक्त न्यूसेन्स मौके से अपने पंचायत के साधनो से हटाकर पालना रिर्पोट एक माह मे इस न्यायालय मे पेश करें । उक्त निर्णय आज दिनांक 4–6–2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

04/6/18

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सिरोही

सिरोही

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

04/6/18

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सिरोही

सिरोही